

8/5/17 प्रार्थी व उसके वकील उपस्थित/विपक्षी
 उपस्थित/अनुपस्थित प्रकरण को लोक अदालत/
 केम्प कोर्ट में रैफर करने हेतु दोनों पक्ष सहमत
 है अतः प्रकरण को लोक अदालत में रैफर किया
 जाता है पक्षकारान दिनांक 21/6/17.....को
 केम्प कोर्ट/लोक अदालत समत उपस्थित रहें।

Handwritten signature

ए.सी.इ.एम.(FT)

21/6/17 जोधपुर
 पक्षकारान उपस्थित/अनुपस्थित/वकील प्रार्थी,
 अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित/पत्रावली लोक
 अदालत केम्प कोर्ट में रैफर की पक्षकारान में
 समझाईश की प्रतीति प्रदान नहीं हुआ
 अतः पत्रावली को वापिस
 लौटायी जावेगा प्रकरण को अदालत में
 दिनांक 12/7/17 उपस्थित रहें।

Handwritten signature

पीठासीन अधिकारी
 ए.सी.इ.एम.(FT) जोधपुर

~~12/7/17 पत्रावली आवाज अनुशासन केम्प
 कोर्ट प्रार्थी पत्रावली लोरेडी जाउडीसली
 पक्ष दुई। चाही एमथरु इनालकेल दुई।
 चाही दुई। अतः प्रकरण पक्ष का उपस्थित न
 किया गया। चाही ने अपने दुई प्रार्थना पत्र
 के माध्यम से इसके एक प्रतिकरणीयता के मदद
 प्रमाण से कोई विवाद नहीं होने से परिचित
 प्रमाण दुई। खारिज करने का आदेश किया
 है।~~

Handwritten signature
 Rishwan Singh
 142



कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)
 जोधपुर

(P.T.O)

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

काह काडी द्वारा विद्रोह के क्रिये जाने
मे इस न्यायालय को कोर्ट अफेय
गई है।

अतः अफेय के विवेचन के
परिणामस्वरूप काडी का प्रार्थना एत
द्वारा स्वीकारा जाता है तथा काह
काडी को विद्रोह के खारेज किया
जाता है। फथवाला सुमार कंसल हाकर
सारेकेल सुकर हो।

मिडिय आज है 12-7-2018
को बुधवार कोर्ट कोरम केपायत
कोर्टी पादिली करे आस कुनाया
मका।

(Signature)

सावक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)
जोधपुर

